लघु उद्योग सलाहकार संगठन द्वारा मध्य प्रदेश की यात्रा

4766. श्री गंगा चरण दीक्षित: क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के लघु उद्योग सलाहकार संगठन के प्रतिनिधियों के किसी दल ने मध्य प्रदेश तामुक मुख्यालयों की यात्रा की थी और मध्य प्रदेश के पिछड़े जिलों में नए उद्योग स्थापित करने के प्रयोजनार्थ आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करने के लिए वह वहां के उद्यमियों से मिला था, और

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा के क्या परिणाम निकले ?

औद्योगिक विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) (क) जी, हां ।

(ख) लघु उद्योग विकास संगठन तथा अन्य संवर्धनात्मक अभिकरणों के अधिकारियों के एक दल ने हाल ही में उन क्षेत्रों का दौरा किया था तथा तकनीकी आर्थिक दृष्टि से विकासक्षम परियोजनाओं का पता लगाने के लिये लघु क्षेत्र के 87 भावी उद्यमियों की सहायता की थी ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो में पदों का आरक्षण

4767. श्री रामावतार शास्त्री: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो में कुछ पदों का आरक्षण किया गया है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) पटना स्थित केन्द्रीय जांच ब्यूरो पिछले तीन वर्षों में कितने लोगों को नियुक्त किया गया है ;

(ग) नियुक्त किये गये लोगों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के लोगों की अलग-अलग संख्या कितनी है; और

(घ) केन्द्रीय जांच ब्यूरो में आरक्षित पदों पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों को नियुक्त न करने के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय तथा कार्मिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) (क) से (घ). सूचना एकत्रित की जा रही है और इसे सदन के पटल पर रख दिया जायेगा।

संसद सदस्यों तथा राज्य विधान मंडलों के सदस्यों में से स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दिया जाना

4768. श्री रामावतार शास्त्री : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार स्वतंत्रता सेनानी सहायता समिति की सिफारिशों पर संथाल परगना से निर्वाचित लोक-सभा के सदस्य तथा स्वतंत्रता सेनानी श्री जगदीश नारायण मण्डल को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन की स्वीकृति दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो आवेदन देने वाले अन्य स्वतंत्रता सेनानी संसद-सदस्यों को पेंशन नहीं दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या बिहार के कई विधायकों को स्वतंत्रता सेनानी पेंशन की स्वीकृति दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री :(श्री एफ० एच० मोहसिन) : (क) और (ख) संसद सदस्य तथा विधायक को जो स्वतंत्रता सेनानी थे, पेंशन स्वीकृति के लिये आवेदन कर सकते हैं बशर्ते कि वे योजना में निर्धारित की गई पात्रता की शर्तों को पूरी करते हों, उनके आवेदन पत्रों की जांच की जायेगी किन्तु तब तक पेंशन स्वीकृति के बारे में कोई आदेश जारी नहीं किये जाएंगे जब तक उनसे यह सूचना प्राप्त नहीं हो जाती है कि उनकी वार्षिक आय 5000/- रुपये से कम है, श्री जगदीश नारायण मण्डल संसद सदस्य को गलती से पेंशन स्वीकृत की गई थी। इस संसद सदस्य के अनुरोध पर पेंशन रद्द करने के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

(ग) और (घ). राज्य विधान सभा के सदस्य पेंशन स्वीकृति के पात्र होते हैं बशर्ते कि उनकी वार्षिक आय 5,000/- रुपये से कम हो। इसके अतिरिक्त यदि आवेदन पत्रों में विशेष रूप से यह नहीं कहा जाता है कि आवेदक एक संसद सदस्य अथवा विधायक है तो इस तथ्य को जानना सम्भव नहीं है जब तक कि राज्य सरकार से कोई जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती है।

दिल्ली में स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मेलन

4769. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री पी० नारायन :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 9 और 10 अगस्त, 1973 को दिल्ली में स्वतन्त्रता सेनानियों का कोई सम्मेलन आयोजित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में भाग लेने वाले सेनानियों की संख्या कितनी थी तथा वे किन राज्यों से आये थे ; और

(ग) सम्मेलन में स्वीकृत प्रस्तावों की मुख्य बातें क्या हैं और सरकार की उनके बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ०एच० मोहसिन): (क) से (ग). सरकार द्वारा अगस्त, 1973 में स्वतन्त्रता सेनानियों के किसी सम्मेलन का कोई आयोजन नहीं किया गया था। किन्तु सरकार ने 9 अगस्त, 1973 को दिल्ली में भारतीय स्वतन्त्रता सेनानियों के राष्ट्रीय संघ द्वारा आयोजित स्वतन्त्रता सेनानियों के सम्मेलन के बारे में प्रेस रिपोर्ट देखी है। प्रेस रिपोर्टों में सम्मेलन में पारित संकल्पों अथवा भाग लेने वालों की संख्या और विवरण के बारे में कोई स्पष्ट संकेत नहीं है।

बिहार में पिछड़े क्षेत्रों का विकास

4770. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री चन्द्र शेखर सिंह :

क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में विकास के लिये कोई योजना केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहन धारिया): (क) राज्य सरकार ने योजना को छोटानागपुर तथा सन्थाल परगनों के अधिकरण द्वारा छोटानागपुर तथा सन्थाल परगनों के लिये बनाई गई पांचवी पंचवर्षीय योजना का मसौदा भेजा है।